तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबूलाल बनाम प्राधिकृत अधिकारी, (जीसीएमएस नं. 2017/00164) 162/17	
26.07.21	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है और कोई वाद विवाद शेष नही रहा है लिहाजा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपील में प्रार्थी/अपीलान्ट आगे कोई कार्यवाही न कर प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर विड्रो करने की अनुमति प्रदान की जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौरान बहस कथन किया है कि अपील विड्रो की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने के कारण अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को अब आगे चलाना नही चाहता है ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त जयपुर।	